


प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखें)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (SHAHDOL), मध्य प्रदेश

दस्तावेज:

क्रमांक:

दिनांक:

क्रमांक:स्कूल आई.टी. - 16095154/70797 प्रति,

दिनांक:- 12/05/2017

प्रबंधक,

(CENTRAL ACADEMY INTER NATIONAL SCHOOL)

वचन: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 1) के अधिनियम (4) के अधिनियम स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 03/01/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्पत्ती पत्र व्यवहार निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -CENTRAL ACADEMY INTER NATIONAL SCHOOL, 705/3 SHANTI KUNJ MAU, BEGHARI DISTRICT- SHAHDOL (M.P.) को कक्षा Nursery से कक्षा 8) तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्विकृति निम्न लक्ष्य शर्तों की पूर्ति के अधिनियम होगी:-

- मान्यता प्राप्त नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं भी रूप में व्यवस्था नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (अधिनियम 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने प्रवेश की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। इस दबा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश वाले को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य धारण कर शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवधिक व्यय का पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक उपरोक्त सहायता या अनुदान प्राप्त होता है, किंतु यह न्यूनतम पर्यवेक्षण प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (पूरा स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 के उपबंध (1) के उपबंध (क) से (ग) के उपबंध पर स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवस्था की पूर्ति की जाएगी तथा एसी पूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को प्रत्येक से बालकों को उपलब्ध करना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी के पेटेनल फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक में साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा
 - (क) आयु के बावजूद के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए निर्दिष्ट निर्दिष्ट प्रस्तावित कालावधि के पश्चात्, ऐसा प्रवेश प्राप्त किया गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या दुर्भाग्य से कभी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को कक्षा 1 में प्रवेश या निष्कासन नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क प्रवेश आवश्यकता वाले बालकों को सम्मिलित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की मंती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कार्यवाही का पालन करना होगा;
 - प्राथमिक टी चेंज की गति व धर्म में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक का अनुपालन करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में उल्लिखित वर अनुरोध स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

Manager
Central Academy
International School
Distt.-Shahdol

PRINCIPAL
Central Academy
International School
Distt.-Shahdol